जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर45/2016
A3/1

विविध बैंक प्र0सं0 45/2016 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जे0सी0टी0 मिल श्रीगंगानगर बनाम 1–मैसर्स सिंह मेडिकोज स्थित दुकान न0 11, पटेल मार्केट, सेकेण्ड फलोर, श्रीगंगानग जरिये प्रोपराईटर अवतारसिंह पुत्र हरी सिंह निवासी मकान न0 89 थर्ड ब्लाक, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर 2–बलवन्त कौर पत्नि हरीसिंह निवासी मकान न0 89 थर्ड ब्लाक, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर

11–07–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा जे0सी0टी0 मिल श्रीगंगानगर के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा जे0सी0टी0 मिल श्रीगंगानगर के अभिभाषक का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी मै0 सिंह मेडिकोज स्थित दुकान न0 11, पटेल मार्केट, सेकिण्ड फलोर, श्रीगंगानगर जरिये प्रोपराईटर अवतारसिंह पुत्र हरी सिंह निवासी मकान न0 89 थर्ड ब्लॉक, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 9,50,000/–रूपये (अखरे रूपये नौ लाख पचास हजार मात्र) ऋण दिनांक 29.06.2.10 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीया सं0 2 बलवंतकौर गारन्टर ने अपनी सम्पति मकान न0 89 थर्ड ब्लॉक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर साईज 31.6 इन्टू 66 फीट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 28.01.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थी ऋणी की ओर दिनांक 29.01.2016 तक ऋण राशि 9,73,697–रूपये एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीयान को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस दिनांक 30.01.2016 को जारी किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीयान द्वारा बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। इसलिए अप्रार्थीया श्रीमति बलवंत कौर गारन्टर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पति मकान न0 89 थर्ड ब्लॉक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर साईज 31.6 इन्टू 66 फीट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने कुल 9,50,000/–रूपये ऋण राशि के रूप में दिनांक 29.06.2010 को अप्रार्थी ऋणी मै0 सिंह मेडिकोज स्थित दुकान न0 11, पटेल मार्केट, सेकिण्ड फलोर, श्रीगंगानगर जरिये प्रोपराईटर अवतारसिंह पुत्र हरी सिंह निवासी मकान न0 89 थर्ड ब्लॉक, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर के नाम स्वीकृत किया था। जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीया श्रीमति बलवंतर कौर गारन्टर ने अपनी सम्पति

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर 45/2016
A3/2

मकान न0 89 थर्ड ब्लॉक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर साईज 31.6 इन्टू 66 फीट प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को बैंक द्वारा दिनांक 30.01.2016 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस जारी किये और उक्त नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थी ऋणी या अप्रार्थी सं0 2 बलवंत कौर जमानतदार द्वारा उक्त नोटिस पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप या कोई अभ्यावेदन बैंक को प्राप्त नही हुआ है और न ही उनके द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा करवाई गई है।

चूंकि अप्रार्थीया सं0 2 श्रीमति बलवंत कौर गारन्टर द्वारा अपने स्वयं के नोटिस की व ऋणी के नोटिस की तामील भी बनवंत कौर द्वारा की जा चुकी है और इसके बावजूद भी उनके द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है और न ही नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप व अभ्यावेदन पेश किया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं0 2 श्रीमति बलवंत कौर गारन्टर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पति मकान न0 89 थर्ड ब्लॉक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर साईज 31.6 इन्टू 66 फीट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा जे0सी0टी0 मिल श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीया श्रीमति बलवंत कौर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पति मकान न0 89 थर्ड ब्लॉक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर साईज 31.6 इन्टू 66 फीट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1486-87
13/07/17

यह आदेश आज दिनांक 11—07—2017 को मेर द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर